संख्या -153/2026/787/35-4-2026/35-4099/27/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 03 मई, 2026

विषय – जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1446 /त्व0आ0वि0यो0/2025-26, दिनांक 17 मार्च, 2026 एवं पत्रांक-29 /त्व0आ0वि0यो0/2025-26, दिनांक 08.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099 /27/2024, दिनांक 08 मार्च, 2024 स्वीकृत 89 कार्यों में से कुल 12 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने क अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र में शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024, दिनांक-08 मार्च, 2024 द्वारा 89 कार्यों की रू0 9333.80 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 5600.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से 12 कार्यो (शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 के क्रमांक-15,32,47,51,54,55,60,70,84,21,36 व 66 पर अंकित कार्य) की लागत रू. 1132.26 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू0 679.37 लाख एवं अनुबन्ध के फलस्वरूप हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 253.50 लाख (रूपये दो करोड़ तिरपन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

	सम्बंधित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 पर अंकित क्रमांक एवं कार्य का नाम		अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	कुल बचत	अवमुक्त धनराशि
	क्रं	कार्य का नाम				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	15	नन्दानगर पवन बिहार में अमित कुमार के मकान से पी०आर० सैनिक स्कूल हुये संतोष पटेल के मकान तक आर०सी०सी० नाली, सी०सी० सड़क व साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	154.97	92.98	33.25	28.74
2	32	डा० राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत संतोष नगर में मुकेश कुमार गुप्ता के मकान से शिवम इण्डस्ट्रीज एवं विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	57.32	34.39	11.58	11.35
3	47	चतुवेर्दी भवन से ट्रांसफार्मर होते हुए मलीन बस्ती के विभिन्न गलियों में नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	107.45	64.47	2.15	40.83
4	51	लोहियानगर के अन्तर्गत शिवपुर कालोनी में उमा के मकान से ट्रान्सफार्मर तक विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	132.27	79.36	25.42	27.49
5	54	माधोपुर में रवि शंकर के मकान से संजय, पवन, इन्द्रलोक के मकान से होते हुए गौड़ निवास तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	72.51	43.51	16.69	12.31
6	55	शाहपुर में एन० त्रिपाठी के मकान से स्वर्णलता के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	18.06	10.84	0.35	6.87
7	60	शक्तिनगर में प्रीती बिहार में मूकल धर घोष, पी०एस० सिंह की गली एवं विमल स्कूल से डा० चतुर्वेदी तक विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	130.78	78.47	28.09	23.41
8	70	सूरजकुण्ड में हरि निवास से रत्नेश्वर दूबे के मकान तक तथा जय प्रकाश के मकान तक व विभिन्न सड़कों का सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	114.03	68.42	21.65	23.96
9	84	सन्तझूलेलाल में फूले के मकान से सहदेव के मकान तक तथा	151.75	91.05	28.81	31.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आन्तरिक गली में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।				
10	21	नकहा में लोट्स वैली के पास के०के० पाण्डेय के मकान से विरेन्द्र तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	38.19	22.91	8.03	7.25
11	136	डा० राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत सोनौली मेन रोड से विभा सदन व सुसीला सदन होते हुये संतोष के मकान तक साईड पटरी इण्टरलाकिंग व सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	107.07	64.24	21.37	21.46
12	66	इन्दिरा नगर में बाढ़ खण्ड ए०एम० कम्यूनिकेशन तक व लिंक गलियों में आर०सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	47.86	28.72	1.2	17.94
		योग	1132.26	679.36	198.59	253.50

1. उक्त संदर्भित शासनादेश 08 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

अर्थात 30 जून,2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये. 2,53,50,000/- लाख (रूपये दो करोड़ तिरपन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या - 153/2026/787/35-4-2026/35-4099/27/2024, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. नगर आयुक्त, नगर विकास, गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13. अधिशासी अभियंन्ता, नगर निगम गोरखपुर ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।